"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 11 मई 2018—वैशाख 21, शक 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती अमरीका खेवार ध. प. श्री इन्द्रजीत खेवार, उम्र 49 वर्ष, निवासी-म. नं.-419/1, आशीष नगर, वार्ड नं.-4,रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं. मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, मेरे समस्त शासकीय अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में मेरा नाम अमरीका खेवार (Amrika Khewar) दर्ज है, जो कि सही है, किन्तु मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम श्रीमती अमरीका बाई (Smt. Amrika Bai) दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम श्रीमती अमरीका खेवार रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती अमरीका खेवार ध. प. श्री इन्द्रजीत खेवार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
श्रीमती अमरीका बाई (Smt. Amrika Bai) पति-श्री इन्द्रजीत खेवार निवासी-म. नं.-419/1, आशीष नगर, वार्ड नं.-4,रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती अमरीका खेवार (Smt. Amrika Khewar) पति-श्री इन्द्रजीत खेवार निवासी-म. नं.-419/1, आशीष नगर, वार्ड नं.-4,रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुबराती अली आत्मज श्री जहूर अली, उम्र 59 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-2-बी, सड़क-एस. पी. ए., सेक्टर-11, जोन-3, खुर्सीपार, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, मेरे समस्त शासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में मेरा पूर्ण नाम सुबराती अली (Subrati Ali) दर्ज है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम हिन्दी में सुबराती अली एवं अंग्रेजी में सुबराती दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैं अपने नाम के आगे "अली" उपनाम जोड़कर पूर्ण नाम सुबराती अली (Subrati Ali) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे सुबराती अली (Subrati Ali) आत्मज श्री जहूर अली के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
सुबराती (Subrati) पिता-श्री जहूर अली निवासी-क्वा. नं.-2-बी, सड़क-एस. पी. ए., सेक्टर-11, जोन-3, खुर्सीपार, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	सुबराती अली (Subrati Ali) पिता-श्री जहूर अली निवासी-क्वा. नं.-2-बी, सड़क-एस. पी. ए., सेक्टर-11, जोन-3, खुर्सीपार, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अशोक कुमार मंडावी आत्मज स्व. सुखलाल मंडावी, उम्र 51 वर्ष, निवासी-आदर्श नगर, चरोदा, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड व पूर्व के कुछ शासकीय दस्तावेजों/अभिलेखों में मेरा पूर्ण व सही नाम अशोक कुमार मंडावी आ. सुखलाल मंडावी दर्ज है. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम अशोक कुमार आ. सुकलाल व मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में अशोक कुमार आ. सुकलाल गोंड, सुकलाल तथा मेरे पेन कार्ड में मेरा नाम अशोक कुमार आ. सुखलाल मंडावी दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने समस्त शासकीय व विभागीय दस्तावेजों/अभिलेखों में मेरा सही व पूर्ण नाम अशोक कुमार मंडावी आ. स्व. सुखलाल मंडावी दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे अशोक कुमार मंडावी आ. स्व. सुखलाल मंडावी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
अशोक कुमार पिता-सुकलाल गोंड, सुकलाल निवासी-आदर्श नगर, चरोदा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	अशोक कुमार मंडावी पिता-स्व. सुखलाल मंडावी निवासी-आदर्श नगर, चरोदा, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, खुमान सिंह सोनबोइर आत्मज श्री सुकलू राम सोनबोइर, उम्र, 53 वर्ष, निवासी-पीयूष विला, सड़क नं.-8, जोन-3, न्यू आदर्श नगर दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड बैंक पास बुक में मेरा नाम खुमान सिंह सोनबोइर आ. श्री सुकलू राम सोनबोइर दर्ज है जो कि पूर्ण व सही है. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम खुमान सिंह दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैं अपने नाम के आगे “सोनबोइर” उपनाम जोड़कर पूर्ण व सही नाम खुमान सिंह सोनबोइर रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे खुमान सिंह सोनबोइर आ. श्री सुकलू राम सोनबोइर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
खुमान सिंह (KHUMAN SINGH) पिता-श्री सुकलू राम सोनबोइर (S/o- SHRI SUKLURAM SONBOIR) निवासी-पीयूष विला, सड़क नं.-8, जोन-3, न्यू आदर्श नगर, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	खुमान सिंह सोनबोइर (KHUMAN SINGH SONBOIR) पिता-श्री सुकलू राम सोनबोइर (S/o- SHRI SUKLURAM SONBOIR) निवासी-पीयूष विला, सड़क नं.-8, जोन-3, न्यू आदर्श नगर, दुर्ग, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अथर्व शर्मा आत्मज श्री रत्तीभान शर्मा, उम्र 28 वर्ष, निवासी-वार्ड नं.-01, बजरंग चौक, सेलूद, तहसील पाटन, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम चंचल शर्मा था तथा मैं इसी नाम से जाना, पहचाना जाता था, मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम अथर्व शर्मा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे अथर्व शर्मा आ. श्री रत्तीभान शर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
चंचल शर्मा पिता-श्री रत्तीभान शर्मा निवासी-वार्ड नं.-01, बजरंग चौक, सेलूद, तहसील-पाटन जिला-दुर्ग (छ. ग.) पिन-491107	अथर्व शर्मा पिता-श्री रत्तीभान शर्मा निवासी-वार्ड नं.-01, बजरंग चौक, सेलूद, तहसील-पाटन जिला-दुर्ग (छ. ग.) पिन-491107

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, योगेश सोनी आत्मज श्री अशोक सोनी, उम्र 22 वर्ष, जाति सोनार, निवासी- स्वामी विवेकानंद वार्ड, बुढ़ासागर, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम यश सोनी था, जो कि मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों/अभिलेखों में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम योगेश सोनी रख लिया हूं मेरा यह नया नाम मेरे आधार कार्ड, परिचय पत्र आदि में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे योगेश सोनी आत्मज श्री अशोक सोनी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

यश सोनी
पिता-श्री अशोक सोनी
निवासी-स्वामी विवेकानंद वार्ड,
बुढ़ासागर, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)
पिन-492001

नया नाम

योगेश सोनी
पिता-श्री अशोक सोनी
निवासी-स्वामी विवेकानंद वार्ड,
बुढ़ासागर, रायपुर,
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)
पिन-492001

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती हर्षा खेड़पाण्डे ध. प. श्री हेमन्त खेड़पाण्डे, उम्र 59 वर्ष, निवासी-ममता नगर, आनंद विहार कालोनी, गली नं.-5, राजनांदगांव, तहसील व जिला- राजनांदगांव (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम मीना रड़के आत्मजा श्री वी. जी. रड़के, था. मेरा विवाह श्री हेमन्त खेड़पाण्डे के साथ संपन्न हुआ. विवाह पश्चात मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम श्रीमती हर्षा खेड़पाण्डे रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे हर्षा खेड़पाण्डे ध. प. श्री हेमन्त खेड़पाण्डे के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

मीना रड़के
पिता-श्री वी. जी. रड़के
निवासी-भवानी नगर, राजनांदगांव
तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती हर्षा खेड़पाण्डे
पति-श्री हेमन्त खेड़पाण्डे
निवासी-ममता नगर,
आनंद विहार कालोनी,
गली नं.-5, राजनांदगांव,
तह. व जिला- राजनांदगांव (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुमन साहु आत्मजा श्री भगवान सिंह साहु, निवासी-क्वा. नं.-C/20, नई पुलिस लाईन, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम खिलेश्वरी साहु था तथा मैं इस नाम से जानी, पहचानी जाती थी. मैं अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम सुमन साहू रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्रधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे सुमन साहु आत्मजा श्री भगवान सिंह साहु के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

खिलेश्वरी साहु
(Khileshwari Sahu)
पिता-श्री भगवान सिंह साहु
निवासी-क्वा. नं.-C/20,
नई पुलिस लाईन, दुर्ग,
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

सुमन साहु
(Suman Sahu)
पिता-श्री भगवान सिंह साहु
निवासी-क्वा. नं.-C/20,
नई पुलिस लाईन, दुर्ग,
तहसील व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मंगतू राम देवांगन आत्मज श्री रामा देवांगन उम्र 55 वर्ष, निवासी-3/सी, सड़क नं 11, सेक्टर-8, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, सर्विस रिकार्ड, में मेरा व मेरे पिताजी का नाम मंगतू राम आ. रामा दर्ज है तथा मेरे परिचय पत्र में एम. आर. देवांगन आ. रामा दर्ज है, जो कि त्रुटिपूर्ण है. मेरे पेन कार्ड व आधार कार्ड में मेरा सही नाम मंगतू राम देवांगन आ. श्री रामा देवांगन दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही नाम मंगतू राम देवांगन (Mangtoo Ram Dewangan) आ. श्री रामा देवांगन (Shri Rama Dewangan) रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे मंगतू राम देवांगन आ. श्री रामा देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

मंगतू राम (Mangtoo Ram)
एम. आर. देवांगन (M. R. Dewangan)
पिता-रामा (Rama)
निवासी-3/सी, सड़क नं-11,
सेक्टर-8, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

मंगतू राम देवांगन (Mangtoo Ram Dewangan)
पिता-श्री रामा देवांगन
(Shri Rama Dewangan)
निवासी-3/सी, सड़क नं -11,
सेक्टर-8, भिलाई,
तह. व जिला- दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक लोक न्यास महासमुन्द जिला महासमुन्द (छ. ग.)

महासमुन्द, दिनांक 23 अप्रैल 2018

क्रमांक/503 क/वाचक-1/अविअ./2018.—एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि न्यायालय पंजीयक लोक न्यास महासमुन्द के पंजीयन में रा. मा. क्रं. 01, ब-113 वर्ष 2017-18 दर्ज दिनांक 24-01-2018 पर ट्रस्ट का नाम महासमुन्द विपश्यना साधना ट्रस्ट महासमुन्द का पंजीयन दिनांक 20-04-2018 को किया गया है.

इस ट्रस्ट की संपत्ति अनुसूची इस प्रकार है :-

11000.00 रुपये नकद मात्र (ग्यारह हजार मात्र)

ट्रस्ट का परिवर्तित का नाम	-	महासमुन्द विपश्यना साधना ट्रस्ट, महासमुन्द.
स्थापक/सेटलर	-	1. श्री नितेश मोरयानी पिता, श्रीचन्द मोरयानी इमलीभांटा महासमुन्द जिला महासमुन्द.
ट्रस्टियों की संख्या	-	1. तिलक साव पिता भुवनलाल साव निवासी भलेसर रोड आदर्श नगर महासमुन्द 2. लक्ष्मीनारायण शर्मा पिता स्व. श्री बाबूलाल शर्मा निवासी संजय कुंज रेल्वे क्रासिंग इमलीभांठा महासमुन्द 3. नरेश मोरयानी पिता श्रीचन्द मोरयानी इमलीभांटा महासमुन्द 4. राजेश गजभिये पिता मनोहर गजभिये क्लब पारा वार्ड नं. 26 महासमुन्द 5. कमलेश ध्रुव पिता के. एस. ध्रुव आयोध्या नगर महासमुन्द जिला महासमुन्द (छ. ग.)

प्रेमप्रकाश शर्मा
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/347.—वस्तुत: छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2015/695 दुर्ग, दिनांक 18-03-2015 के द्वारा श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक को श्री गणेश प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. सुपेला भिलाई पंजीयन क्रमांक 2851 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से रायपुर जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियाँ जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री यू. एस. शर्मा, सहकारी निरीक्षक को श्री गणेश प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. सुपेला भिलाई पंजीयन क्रमांक 2851 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/348.—वस्तुत: छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2015/696 दुर्ग, दिनांक 18-03-2015 के द्वारा श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक को प्रगतिशील महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. गुरुघासीदास नगर भिलाई, पंजीयन क्रमांक 2794 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से रायपुर जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियॉं जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री यू. एस. शर्मा, सहकारी निरीक्षक को प्रगतिशील महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. गुरुघासीदास नगर भिलाई, पंजीयन क्रमांक 2794 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/349.—वस्तुत: छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2015/698 दुर्ग, दिनांक 18-03-2015 के द्वारा श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक को छ. ग. प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. खुर्सीपार, पंजीयन क्रमांक 2935 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से रायपुर जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियॉं जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री यू. एस. शर्मा, सहकारी निरीक्षक को छ. ग. प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. खुर्सीपार, पंजीयन क्रमांक 2935 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/350.—वस्तुत: छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2015/697 दुर्ग, दिनांक 18-03-2015 के द्वारा श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक को जनजागरण प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. वार्ड क्र.-04, भिलाई, पंजीयन क्रमांक 2970 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से रायपुर जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियॉं जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री यू. एस. शर्मा, सहकारी निरीक्षक को जनजागरण प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या. वार्ड क्र.-04, भिलाई, पंजीयन क्रमांक 2970 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/351.—वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2015/664 दुर्ग, दिनांक 18-03-2015 के द्वारा श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक को बी. टी. आई. को-ऑप. केंटीन मर्या. भिलाई, पंजीयन क्रमांक 2618 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से रायपुर जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियाँ जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री यू. एस. शर्मा, सहकारी निरीक्षक को बी. टी. आई. को-ऑप. केंटीन मर्या. भिलाई, पंजीयन क्रमांक 2618 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/352.—वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2015/665 दुर्ग, दिनांक 18-03-2015 के द्वारा श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक को फाउण्ड्री एण्ड पैटर्न शॉप को-ऑप. केंटीन बी. एस. पी. मर्या. भिलाई, पंजीयन क्रमांक 2239 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से रायपुर जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियाँ जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री यू. एस. शर्मा, सहकारी निरीक्षक को फाउण्ड्री एण्ड पैटर्न शॉप को-ऑप. केंटीन बी. एस. पी. मर्या. भिलाई, पंजीयन क्रमांक 2239 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/353.—वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2015/663 दुर्ग, दिनांक 18-03-2015 के द्वारा श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक को रॉ मटेरियल को-ऑप. केंटीन बी. एस. पी. मर्या. भिलाई, पंजीयन क्रमांक 2095 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से रायपुर जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियाँ जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री यू. एस. शर्मा, सहकारी निरीक्षक को रॉ मटेरियल को-ऑप. केंटीन बी. एस. पी. मर्या. भिलाई, पंजीयन क्रमांक 2095 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/354.—वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2015/666 दुर्ग, दिनांक 18-03-2015 के द्वारा श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक को बी. एस. पी. कर्मचारी स्लेग ग्रेनुलेशन जलपान सहकारी समिति मर्या. भिलाई, पंजीयन क्रमांक 1986 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से रायपुर जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियॉं जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री यू. एस. शर्मा, सहकारी निरीक्षक को बी. एस. पी. कर्मचारी स्लेग ग्रेनुलेशन जलपान सहकारी समिति मर्या. भिलाई, पंजीयन क्रमांक 1986 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/355.—वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2015/669 दुर्ग, दिनांक 18-03-2015 के द्वारा श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक को फोर्ज एण्ड स्टील स्ट्रक्चरल शॉप को-ऑप. केंटीन मर्या. भिलाई, पंजीयन क्रमांक 2309 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से रायपुर जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियॉं जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री यू. एस. शर्मा, सहकारी निरीक्षक को फोर्ज एण्ड स्टील स्ट्रक्चरल शॉप को-ऑप. केंटीन मर्या. भिलाई, पंजीयन क्रमांक 2309 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/356.—वस्तुतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2015/668 दुर्ग, दिनांक 18-03-2015 के द्वारा श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक को वर्क्स को-ऑप. केंटीन पी. पी. II बी. एस. पी. मर्या. भिलाई, पंजीयन क्रमांक 2299 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से रायपुर जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियॉं जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री यू. एस. शर्मा, सहकारी निरीक्षक को वर्क्स को-ऑप. केंटीन पी. पी. II बी. एस. पी. मर्या. भिलाई, पंजीयन क्रमांक 2299 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/357.—वस्तुत: छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2014/685 दुर्ग, दिनांक 02-06-2014 के द्वारा श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक को नवसाक्षर महिला रिफिल उद्योग सहकारी समिति मर्या. उमदा, पंजीयन क्रमांक 2553 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से रायपुर जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियॉं जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री यू. एस. शर्मा, सहकारी निरीक्षक को नवसाक्षर महिला रिफिल उद्योग सहकारी समिति मर्या. उमदा, पंजीयन क्रमांक 2553 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2018

क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2018/358.—वस्तुत: छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंदु/परिसमापन/2016/569 दुर्ग, दिनांक 29-12-2016 के द्वारा श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक को एस. सोना को- ऑप. केंटीन (एन. एस. पी. सी. एल.) मर्या. पुरैना, पंजीयन क्रमांक 2999 का परिसमापक नियुक्त किया गया था. श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक की पदोन्नति पश्चात् दुर्ग जिले से रायपुर जिले में स्थानांतरित हो जाने के फलस्वरूप मैं उमेश तिवारी, उप रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं दुर्ग, छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 उपधारा (2) (क) के अंतर्गत रजिस्ट्रार में वेष्ठित शक्तियॉं जो कि, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा मुझे प्रदत्त की गई है, का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री ए. मुखर्जी, सहकारी निरीक्षक के स्थान पर श्री यू. एस. शर्मा, सहकारी निरीक्षक को एस. सोना को- ऑप. केंटीन (एन. एस. पी. सी. एल.) मर्या. पुरैना, पंजीयन क्रमांक 2999 समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-03-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया जाता है.

उमेश तिवारी,
उप पंजीयक.

कार्यालय परिसमापक सहकारी संस्थाएं मर्यादित बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 1 मई 2018

क्रमांक/2018/परि./928.—छ. ग. सहकारी संस्थायें नियम 1962 के उपनियम 57 (5) के तहत यह सूचित किया जाता है कि निम्नांकित समितियों के दावेदार/लेनदार अपने दावे मय लिखित प्रमाण 60 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् आने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा उपलब्ध अभिलेखों एवं जानकारी के आधार पर अधोवर्णित संस्था के पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्थाओं के रिकार्ड/सम्पत्ती आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवे अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

क्र.	परिसमापनाधीन समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक	परिसमापक	स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	जय अम्बे महुआ सह समिति मर्या. केकडार वि.ख. तखतपुर जिला-बिलासपुर	पं. क्र. 306 दिनांक 19-1-18	आशीष मजूमदार सहकारी निरीक्षक	कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर कक्ष क्र. 14 प्रथम तल, पुराना कम्पोजिस्ट बिल्डिंग, बिलासपुर (छ. ग.)

आशीष मजूमदार,
सहकारी निरीक्षक/परिसमापक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.